तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **कंवराराम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 135 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-06-2022	अपीलार्थी कंवराराम पुत्र मोहनराम निवासी जगजी की ढाणी, रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.04.2022 में (1) कार्यालय शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर केम्प रावर के आदेश कमांक / रीडर / प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 / 353, 359 दिनांक 06.02.2013 की पालना में खसरा नम्बर 18 व 18 / 1 ग्राम पंचायत रावर तहसील बिलाड़ा के नाम आरक्षित होने, भूमि अवाप्ति आदेश संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 2376 दिनांक 14.06.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना बाबत् कार्यालय के पत्रांक सू.अधि. / 2022 / 1794 दिनांक 26.04.2022 द्वारा प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड एडी के सूचित किया गया कि उक्त अभियान के तहत उक्त ग्राम में किसी प्रकार की भूमि अवाप्त नहीं की गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:10:25 IST
Reason: SelfAttested